



बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग



श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री, बिहार

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना



₹ 2000/-	₹ 1000/-	₹ 2000/-	₹ 600/-	₹ 700/-	₹ 1000/-	₹ 1500/-	₹ 10,000/-	₹ 25,000/-
कन्या के जन्म पर	कन्या के 1 वर्ष पूर्ण होने पर एवं आधार पंजीयन कराने पर	कन्या के 2 वर्ष पूर्ण होने पर (टीकाकरण उपरान्त)	प्रतिवर्ष वर्ग 1-2 (पोशाक)	प्रतिवर्ष वर्ग 3-5 (पोशाक)	प्रतिवर्ष वर्ग 6-8 (पोशाक)	प्रतिवर्ष वर्ग 9-12 (पोशाक)	इंटरमीडियट उत्तीर्ण करने पर (अविवाहित)	स्नातक उत्तीर्ण करने पर
₹ 300/- प्रतिवर्ष								
वर्ग 7-12								
(किशोरी स्वास्थ्य योजनांतर्गत सेनिटरी नैपकीन हेतु)								

बेटियों को संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वावलंबन

राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं के संरक्षण-स्वास्थ्य-शिक्षा-स्वावलंबन पर आधारित "मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना" लागू की गयी है। इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, कन्याओं के जन्म, निबंधन एवं सम्पूर्ण टीकाकरण को प्रोत्साहित करना, लिंग अनुपात में वृद्धि लाना, बालिका शिशु मृत्यु दर को कम करना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल-विवाह पर अंकुश लगाना तथा कुल प्रजनन दर में कमी लाना है। यह योजना बालिकाओं को शिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाने, सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने का अवसर प्रदान करने तथा परिवार एवं समाज में उनके आर्थिक योगदान को बढ़ाने में भी सहायक होगी। यह योजना राज्य के सभी कन्याओं को जन्म से लेकर स्नातक होने के लिए होगी। इस योजना का लाभ परिवार के दो बच्चों तक सीमित रहेगा। इसके अतिरिक्त अन्य योजनाएँ जैसे- छात्रवृत्ति योजना, साईकिल योजना, कन्या विवाह योजना के तहत लाभ कन्याओं को पूर्व की भांति मिलता रहेगा।

अधिक जानकारी के लिए टॉल फ्री नंबर 181 अथवा समाज कल्याण निदेशालय के दूरभाष 0612-2211718 पर संपर्क करें!

साथ ही आप अपने मोबाईल के गुगल प्ले स्टोर से कन्या उत्थान योजना एप भी डाउनलोड कर सकते हैं! ▶